

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 31, गुरुवार, शके 1948- मई 21, 2026 Vaisakha 31, Thursday, Saka 1948- May 21, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2025

संख्या प.9(39)राज-1/2025-26568:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, जालोर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **जालोर की तहसील बागोड़ा, रानीवाड़ा एवं चितलवाना** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरा/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र. सं.	नाम जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है.में)
			ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	क्षेत्रफल (है. में)	ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	क्षेत्रफल (है. में)		
1	32									
1	जालोर / बागोडा	मोरसीम / बागोडा	देवदा का गोलिया LG Code 89460	2345	2456.0 100	विष्णुपुर Vishnupur	644	480.6 700	3	1975.3 4
2	जालोर	करडा /	करडा LG Code 89774	6972	2879.7 1	शिवनगर Shivnaga	850	301.0 0	2	2578.7 1

	/ रानी वाड़ा	रानीवा ड़ा				r				
3	जालोर /	वाड़ा भाडवी / बागोडा	वाड़ा भाडवी LG Code 89489	4469	1775.3 8	विरार नगर Virar Nagar	2110	437.0 973	2	1338.2 857
4	बागोडा	भालनी / बागोडा	भालनी LG Code 89464	3195	1408.2 0	जगरूपग ढ Jagrupga rh	637	299.4 9	3	1108.7 1
5			रामदेव नगर LG Code 89518	838	563.62	नेणो की ढाणी Naino Ki Dhani	377	297.4 25	2	266.19 5
6	जालोर / चितल वाना	भीमगुडा / चितल वाना	भीमगुडा भाटा LG Code 89520	690	480.19	प्रभाणियों की ढाणी जम्भेश्व र नगर Prabhani yo Ki Dhani Jambhes hwar Nagar	259	113.0 76	1	367.11 4

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक् कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, जालोर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

बिरदी चंद गंगवाल,
शासन उप सचिव।